

rduhdh fcM

# MkV Hhejko vkeMdj fo' ofo | ky; | vkxjk

b&fufonk i z =  
foRrh o"lZ2019&2020

fufonk "kcd&: - 500@&

निविदा का नाम	ए.सी. की मरम्मत/सर्विसिंग आदि कार्य ।
आपूर्तिकर्ता/फर्म का नाम	.....
दूरभाष नम्बर	.....
पार्टनरशिप/प्रोपराइटरशिप	.....
पत्र व्यवहार का पता	.....
अर्नेस्टमनी	रुपये 14,000/- मात्र (रुपये चौदह हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. नं0 .....
	दिनांक ..... बैंक का नाम .....
निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड की तिथि	09 सितम्बर, 2019 प्रातः 11:00 बजे
निविदा प्रपत्र की हार्डकॉपी स्वीकार की अंतिम तिथि	23 सितम्बर, 2019 अपरान्ह 03:00 बजे
निविदा खुलने की तिथि व समय-	25 सितम्बर, 2019 अपरान्ह 03:00 बजे
निविदा का विवरण	मैं/हम ..... फर्म का नाम ..... प्रोपराइटर/पार्टनर ..... निविदा के साथ संलग्न लिस्ट पर दी गई दरों पर कार्य करने को सहमत हूँ।
	..... (हस्ताक्षर निविदादाता)
	पता .....
	टेलीफोन/मोबाइल नं0 .....
	व्यापार कर रजिस्ट्रेशन सं0 ..... दिनांक .....
	आयकर पैन नम्बर .....

**ul&**

वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ टेण्डर अभिलेख निर्धारित तिथि व समय तक निविदा मूल्य रूपये 500/- के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक एवं धरोहर राशि के एफ.डी.आर. के साथ जो "वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा" के पक्ष में देय हो, के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। ई- निविदा की हार्ड कापी कुलसचिव कार्यालय में रखे बॉक्स में डाली जायेगी।



# निविदा सम्बन्धी समस्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत मैं श्री

?

पार्टनर/प्रोपराइटर निवासी ..... फर्म का नाम .....  
..... ए.सी. की मरम्मत सर्विसिंग आदि कार्य के लिए अपनी निविदा की दरें संलग्न कर रहा हूँ । अर्नेस्टमनी का एफ.डी.आर. संख्या ..... दिनांक ..... रुपये .....  
..... बैंक का नाम ..... जो वित्त अधिकारी डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के नाम बन्धक है इस निविदा के साथ संलग्न कर रहा हूँ मैंने निविदा सम्बन्धी नियम व शर्तें भली भाँति पढ़ लिया है तथा मुझे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मैं निर्धारित समय के अन्दर ठेके की कार्यवाही नियमानुसार यथा जमानत राशि, इकरारनामा आदि पूर्ण करने में असफल रहूँ तो मेरे बयाने की राशि जब्त कर ली जाय। इन नियमों एवं शर्तों का मैं पूर्ण रूपेण परिपालन करूँगा तथा उसके विरुद्ध मैं किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकारी नहीं रहूँगा।

एतद्वारा मैं घोषणा करता हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तें एवं नियम मुझे बिना किसी आपत्ति के स्वेच्छा से स्वीकार हैं। सभी विवादों में कुलपति महोदय डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा किये गये समस्त निर्णय मुझे मान्य होंगे।

गवाह—

हस्ताक्षर एवं पता

.....

हस्ताक्षर एवं पता .....

.....

दिनांक— .....

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम .....

.....

फर्म से सम्बन्ध .....

पूरा पता .....

मोबाइल नं0 .....

नोट—

1. निविदा की तीन प्रतियाँ मिलेंगी ।

2. दो प्रतियाँ विश्वविद्यालय में (प्रथम पर मूल व द्वितीय पर डुप्लीकेट प्रति अंकित कर) निर्धारित दिनांक एवं समय तक जमा होंगी ।

3. निविदा के साथ रुपये 100/- का नॉन जुडीशियन स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

**MW Hhejko vksMdj fo' ofo | ky; ] vkxjk**  
**foRrh; foM**  
**foRrh; o"KZ2019&2020**

में/हम ..... (प्रोपराइटर/पार्टनर) फर्म का नाम .....

फर्म का पता .....

निम्न दरों पर संलग्न शर्तों के अधीन कार्य करने को सहमत/बचनबद्ध हूँ -

1- ए.सी. विन्डो (1, 1.5 व 2 टन साइज) (वार्षिक चार्ज) ..... प्रति

2- ए.सी. स्प्लिट (1, 1.5 व 2 टन साइज) (वार्षिक चार्ज) ..... प्रति

3- ए.सी. डक्ट (6, 8, 9, 10, 11, 13, व 14 टन साइज) (वार्षिक चार्ज) ..... प्रति

दिनांक-

(हस्ताक्षर निविदादाता)  
फर्म की मोहर

# MW Hhejko vkaMdj fo' ofo | ky; | vxjk

## fufonk l EcUkh fu; e , oa' krZ

1. ए.सी. की मरम्मत तथा रखरखाव का कार्य योग्य फर्म से ही कराया जायेगा । विश्वविद्यालय में एल.जी., ओ-जनरल, बोल्टास आदि कम्पनियों के ए.सी. लगे हुए हैं, कम्पनी के अधिकृत फर्म को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी । मरम्मत के समय यदि कोई पार्ट्स की बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो सम्बन्धित कम्पनी का ही मान्य होगा। ए.सी. की मरम्मत तथा सर्विसिंग के पश्चात कम से कम एक माह में उसी कार्य से सम्बन्धित यदि कोई खराबी आती है तो वह निःशुल्क ठीक कराना होगा। पार्ट्स की गुणवत्ता निम्न स्तर की पाये जाने पर उस बिल का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा। पार्ट्स का भुगतान सम्बन्धित कम्पनी की रेट लिस्ट के अनुसार किया जायेगा।
2. निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि वित्त अधिकारी डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के नाम देय होगी। राष्ट्रीकृत बैंक की बैंक एफ.डी.आर. निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। पूर्व में किसी भी रूप में जमा/सुरक्षित अर्नेस्टमनी इस नवीन निविदा कार्य हेतु मान्य न होगी ।
3. यदि निविदा फर्म के नाम होगी तो फर्म का रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप ऐक्ट/कम्पनी ऐक्ट तथा व्यापार कर आयकर एवं कार्य के अनुभव का उल्लेख तथा समर्थन में अनुभव प्रमाण-पत्र व (केन्द्रीय व राज्य) वैट अधिनियम आदि तथा हस्ताक्षरकर्ता के नाम फर्म का मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) लगाना आवश्यक होगा।
4. वैट/सेवाकर नियमानुसार अलग से देय होगा।
5. जिस कार्य के लिए आदेश दिया गया है उसे सही कर सम्बन्धित विभाग तक पहुँचाना निविदादाता का उत्तरदायित्व होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का भाड़ा/परिवहन व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दिया जायेगा।
6. जिस कार्य की दरें दी जा रही हैं वे उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिये अगर ठेकेदार/फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो अन्य श्रोतों से निविदा में वर्णित कार्य गुणवत्ता के आधार/स्रोतों पर करा लिया जायेगा। कुलपति या उनके प्रतिनिधि का फ़ैसला निविदादाता को मान्य होगा और उस फ़ैसले के विरुद्ध निविदादाता को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।
7. निविदा की स्वीकृति पर कुलपति जी का फ़ैसला अन्तिम होगा। निविदा देने वाले व्यक्ति को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
8. बजट की धनराशि को बढ़ाने एवं घटाने इत्यादि हेतु विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति होने के बाद ठेका छोड़ देता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर विश्वविद्यालय कोश में जमा करा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को घटित क्षति के लिये उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।
10. फर्म/ठेकेदार के नाम से जो ठेका स्वीकृति किया जायेगा वह किसी भी दषा में अन्य फर्म/ठेकेदार को स्थानान्तरित नहीं करेगा। यदि फर्म/ठेकेदार ऐसा करते हैं तो उनका ठेका निरस्त समझा जायेगा तथा उनकी जमानत राशि को जब्त करके विश्वविद्यालय कोश में जमा करा दिया जायेगा।
11. निविदा की स्वीकृत दरें तब तक वैध मानी जायेगी जब तक अगली निविदा स्वीकृति नहीं हो जाती, तब तक उन्हीं दरों पर कार्य/आपूर्ति कराया जा सकता है। इस पर निविदादाता फर्म को कोई एतराज नहीं होगा।
12. इस निविदा के माध्यम से स्वीकृत दरें सामान्य परिस्थिति में एक वर्ष तक मान्य होंगी। किन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि अगली निविदा की दरें एक वर्ष के पूर्व स्वीकृत नहीं हो पाती हैं तो आगे भी इन्हीं दरों पर कार्य करना होगा। किन्तु दोनों पक्षों को यह स्वतन्त्रता होगी कि वे कम से कम तीन माह की नोटिस देकर अपने को इन शर्तों से अलग कर सकते हैं।
13. फर्म/ठेकेदार दर पर उद्धृत करने वाली अथवा अन्य फर्म/ठेकेदारों से न्यूनतम दर प्रस्तावित करने वाली फर्म/ठेकेदार के पास यदि कार्य का अनुभव नहीं है, अथवा उसका प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है, तो द्वितीय फर्म/ठेकेदार को न्यूनतम वार्तानुसार ठेका देने के लिये विश्वविद्यालय स्वतन्त्र होगा।
14. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति हो जाने के उपरान्त निविदा संबंधी कार्यवाही जैसे सिक्वोरिटी धनराशि, अनुबन्ध आदि की कार्यवाही निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण नहीं करता है तो उसकी निविदा को निरस्त मानते हुए अर्नेस्टमनी की धनराशि को अर्नेस्ट जब्त कर लिया जायेगा। निर्धारित समय एवं दिनांक के बाद प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा चाहे विलम्ब पोस्ट आफिस/कोरियर की गलती के कारण हुआ हो।
15. (क) निविदा प्रपत्र तीन प्रतियों में उपलब्ध है जिसमें से 2 प्रतियों में भरकर पृथक-पृथक लिफाफों में जमा करना होगा। जिस लिफाफे में तकनीकी विड एवं वित्तीय विड रखे जायेंगे उस लिफाफे पर क्रमशः "मूल प्रति" तथा दूसरे लिफाफे पर "डुप्लीकेट प्रति" अंकित किया जाय। निविदा प्रपत्र की एक प्रति निविदादाता की व्यक्तिगत प्रति होगी।  
(ख) तकनीकी विड एवं वित्तीय विड अलग-अलग लिफाफों में सील कर दोनो को एक बड़े लिफाफे में रख कर सील करने के उपरान्त ही स्वीकार किया जायेगा।  
(ग) तकनीकी विड वाले लिफाफे में केवल कार्य के अनुभव प्रमाण-पत्र, अर्नेस्टमनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट एवं क्रमांक 2 के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पावर आफ एटॉर्नी आदि तथा सैम्पल होंगे उस पर "तकनीकी विड" अवष्य लिखा जाये।

(घ) जिस लिफाफे में सामग्री की दरें प्रस्तावित होंगी उस पर वित्तीय बिड लिखा जाय।

16. कुलपति जी को यह अधिकार होगा कि वह एक या समस्त निविदा को वगैर कोई कारण बताए निरस्त/स्वीकृत कर सकते हैं ऐसी स्थिति में फर्म/टेकेदारों को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा
17. दोनों पक्षों में कोई विवाद होने पर कुलपति जी ही आरबिट्रेटर होंगे जिनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।
18. निविदादाता/फर्म को निविदा देने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास सम्बन्धित प्रकार का कार्य करने संबंधी उपकरण/मशीनरी आदि एवं यूनिट एक ही स्थान पर हो। उपकरण/मशीनरी आदि एवं यूनिट का निरीक्षण विश्वविद्यालय के इस कार्य के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा।
19. निविदादाता/फर्म को स्टाम्प अधिनियम तथा इसके सापेक्ष समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा करना होगा।
20. समयबद्ध रूप से कार्य संपादित न करने अथवा असंतोषजनक/गुणवत्ता युक्त कार्य/आपूर्ति करने पर विश्वविद्यालय को किसी रूप में पैनल्टी लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।
21. न्यायिक क्षेत्राधिकार आगरा ही होगा।

gLrk{kj fufonknrk

i = 0 ogkj dk Li"V ijk irk

ekby u0

ekgj